

कार्यालय गन्ना आयुक्त, उत्तर प्रदेश ।

पत्रांक 36/सी/कय-सुर0/2009-10

दिनांक लखनऊ नवम्बर 02

, 2009

आदेश

त्रिवेणी इंजीनियरिंग एण्ड इण्डस्ट्रीज लि0, शुगर यूनिट-साबितगढ जनपद बुलन्द ाहर परिक्षेत्र मेरठ की पेराई सत्र 2009-10 हेतु प्रस्तुत मांग पर कार्यालय ज्ञाप संख्या-1244/सी/कय/ग0आ0/ 2009-10 दिनांक 16-9-2009 में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार सम्यक परीक्षणोपरान्त, विज्ञप्ति संख्या-1245/सी कय/ग0आ0 2009-10 दिनांक 16-09-2009 द्वारा उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) अधिनियम-1953 की धारा-12(2) के अन्तर्गत गन्ने की आवश्यकता का अनुमान 77.61 ला0कु0 विज्ञापित किया गया है। उक्त कार्यालय ज्ञाप में यह स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि "आवश्यकता का निर्धारण उ0प्र0 गन्ना (पूर्ति एवं खरीद विनियमन) अधिनियम-1953 की धारा-15 के अन्तर्गत उददेश्य की पूर्ति हेतु चीनी मिल क्षेत्रवार हुए गन्ना उत्पादन/उपलब्धता से आच्छादित रहेगा"।

गत वर्ष त्रिवेणी इंजीनियरिंग एण्ड इण्डस्ट्रीज लि0, शुगर यूनिट-साबितगढ जनपद बुलन्द ाहर परिक्षेत्र मेरठ ने दिनांक 15-11-2008 को पेराई कार्य प्रारम्भ कर दिनांक 18-02-2009 को पेराई सत्र का समापन किया। इस प्रकार चीनी मिल ने 96 कार्य दिवसों में अपने सुरक्षित/अभ्यर्पित क्षेत्र में उपलब्ध 93.11 ला0कु0 गन्ना उत्पादन में से लगभग 44 प्रतिशत ड्राल करते हुए 40.88 ला0कु0 गन्ने की पेराई की।

कृषकों को गन्ने का लाभकारी मूल्य दिलाने एवं गन्ने की अधिक से अधिक खपत चीनी उत्पादन में करने हेतु यह अनिवार्य है कि चीनी मिलें अपने आबंटित क्षेत्र से अधिकतम गन्ने की खरीद/पेराई करें एवं ऐसी प्रबन्धकीय एवं तकनीकी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करें, जिससे गन्ना उत्पादन एवं उपलब्धता में पर्याप्त सामंजस्य बना रहे।

उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति एवं खरीद विनियमन) अधिनियम-1953 की धारा-15 के प्राविधानों के अनुपालन में दिनांक 08-09-2009 को गन्ना किसान संस्थान, लखनऊ में मेरठ परिक्षेत्र की सहकारी गन्ना विकास समितियों, गन्ना कृषकों एवं चीनी मिलों का पक्ष पेराई सत्र 2009-10 में गन्ना क्षेत्र आबंटन एवं गन्ना आपूर्ति के सम्बन्ध में सुनवाई की गई।

विगत वर्षों में चीनी मिल द्वारा गन्ना मूल्य भुगतान में विलम्ब तथा गन्ना विकास कार्यों में अरुचि के कारण गत वर्ष के सापेक्ष इस वर्ष गन्ना क्षेत्रफल में गिरावट आई है। इस चीनी मिल की गत वर्ष सुरक्षित/अभ्यर्पित क्षेत्र में गन्ना उत्पादन में **35 प्रतिशत** कमी होना सम्भावित है।

चीनी मिल क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति, यातायात की सुविधा, गन्ना मूल्य भुगतान की स्थिति, गन्ना समितियों/कृषकों द्वारा दिये गये प्रस्ताव, गत वर्ष आबंटित क्षेत्र में गन्ना क्षेत्रफल तथा क्षेत्र में गन्ना व्यावर्तन की स्थिति आदि कारकों पर विचार किया गया। चीनी मिल क्षेत्र में गन्ना उत्पादन एवं उपलब्धता को देखते हुए इस चीनी मिल को अधिकतम **76.32 लाख कु0** गन्ना उत्पादन का आबंटन किया जा सकता है।

इस चीनी मिल के जनपद—बुलन्दशहर एवं अलीगढ़ में गन्ने की औसत उपज **561.36 एवं 572.08 कु0 प्रति हेक्टेयर** है, जो कि पेराई सत्र 2008—09 में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार कराये गये कॉप कटिंग के परिणामों पर आधारित है तथा सभी सम्बन्धित को इस कार्यालय के पत्र संख्या—950/सी/कय/ग0आ0 दिनांक 12—06—2009 द्वारा संसूचित की गई है, जिसके आधार पर **76.32 लाख कु0** गन्ना उत्पादन की प्रतिपूर्ति कुल **13534 हेक्टेयर** गन्ना क्षेत्रफल से होना सम्भावित है।

अतः सम्बन्धित चीनी मिलों, गन्ना समितियों/गन्ना कृषकों द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव एवं पक्ष सुनने, चीनी मिल क्षेत्र में गन्ना उत्पादन/उपलब्धता एवं अन्य सुसंगत बिन्दुओं को दृष्टिगत रखते हुए मैं, **सुधीर एम.बोबडे**, गन्ना आयुक्त, उत्तर प्रदेश, उ0प्र0 गन्ना (पूर्ति एवं खरीद विनियमन) अधिनियम—1953 की धारा—15, उ0प्र0 गन्ना (पूर्ति एवं खरीद विनियमन) नियमावली—1954 के नियम—22 एवं शुगर केन कन्ट्रोल आर्डर—1966 की उपधारा—6 (1)(ए) के अर्न्तगत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए समस्त पूर्व आदेशों का अतिक्रमण करते हुए संलग्न तालिका के खण्ड—1(क) एवं 1(ख) में अंकित क्रयकेन्द्रों को गन्ना पूर्ति हेतु पेराई सत्र 2009—10 के लिए त्रिवेणी इंजीनियरिंग एण्ड इण्डस्ट्रीज लि0, शुगर यूनिट—साबितगढ़ जनपद बुलन्द शहर परिक्षेत्र मेरठ को सुरक्षित/अभ्यर्पित करता हूँ तथा आबंटी चीनी मिल के अध्यासी को आदेशित करता हूँ कि गन्ना सुरक्षण आदेश प्रसारित होने के 14 दिन के अन्दर सम्बन्धित गन्ना समिति एवं चीनी मिल द्वारा उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति एवं खरीद) आदेश—1954 के उपबन्ध—3(3) एवं 4 (1) में निर्धारित प्रारूप—स पर अनुबन्ध

अनिवार्य रूप से करें तथा चीनी मिल चलने के साथ ही समस्त क्यकेन्द्रों का संचालन एवं समानुपातिक गन्ना खरीद सुनिश्चित करें।

उक्त चीनी मिल के अध्यासी को उ0प्र0 गन्ना (पूर्ति एवं खरीद विनियमन) अधिनियम-1953 की धारा-15 (2) में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए निर्देशित करता हूँ कि गन्ना पेराई सत्र समापन के लिए अपने सुरक्षित/अभ्यर्पित क्षेत्र में उपलब्ध समस्त गन्ने की पेराई का प्रमाण-पत्र सम्बन्धित सहकारी गन्ना विकास समितियों, जिला गन्ना अधिकारियों तथा क्षेत्रीय संयुक्त/उप गन्ना आयुक्त से प्राप्त कर इस कार्यालय की पूर्व अनुमति प्राप्त करने के उपरान्त ही पेराई सत्र का समापन करें।

उपर्युक्त आदेश पेराई सत्र 2009-10 के लिए जारी किये जा रहे हैं। यह तब तक वैध रहेंगे, जब तक इस सम्बन्ध में नये आदेश या संशोधन प्रसारित न किये जायें।

(सुधीर एम.
बोबडे)
गन्ना आयुक्त,
उत्तर प्रदेश।

टिप्पणी

- 1- इस वर्ष जिन नये क्यकेन्द्रों की स्थापना के आदेश दिये जा रहे हैं, उन क्यकेन्द्रों के स्थान का चयन सम्बन्धित जिला गन्ना अधिकारी द्वारा गन्ना किसानों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए, चीनी मिल एवं गन्ना समितियों की राय से किया जायेगा तथा क्यकेन्द्रों से सम्बद्ध होने वाले ग्रामों की सूची भी बनाकर सर्व सम्बन्धित को सूचित करेंगे। जिला गन्ना अधिकारी द्वारा यह भी सुनिश्चित कराया जाये कि एक कृषक के गन्ने की आपूर्ति एक क्यकेन्द्र पर अथवा केन्द्र के एक ही भाग पर सुनिश्चित कराई जाये, एक से अधिक क्यकेन्द्र/केन्द्र के भाग पर आपूर्ति की सुविधा न दी जाये।
- 2- चीनी मिलों एवं गन्ना समितियों तथा किसानों की ओर से कुछ क्यकेन्द्रों के स्थान परिवर्तन करके उसी राजस्व ग्राम से दूसरे स्थान पर लगाने तथा कुछ क्यकेन्द्रों के ग्रामों को उसी चीनी मिल के पूर्ववर्ती क्यकेन्द्रों से हटाकर दूसरे क्यकेन्द्रों पर सम्बद्ध किये जाने के प्रस्ताव प्राप्त हुए/होते हैं। ऐसे प्राप्त

- प्रस्तावों पर जिला गन्ना अधिकारी सम्बन्धित चीनी मिल एवं गन्ना समिति की राय प्राप्त कर अपनी संस्तुति इस कार्यालय को अनुमोदन हेतु प्रेषित करेंगे।
- 3- यदि पेराई सत्र 2009-10 में चीनी मिल द्वारा सन्तोषजनक मात्रा में पेराई न कर पाने के कारण या चीनी मिल बन्द हो जाने के कारण गन्ने का व्यावर्तन किया जाना अपरिहार्य प्रतीत होता है, तो व्यावर्तित गन्ने की ढुलाई व्यय उसी चीनी मिल को देना होगा, जिसे क्रयकेन्द्र मूलरूप में आबंटित हुआ था।
 - 4- गन्ना सुरक्षण आदेश प्रसारित होने के 14 दिन के अन्दर सम्बन्धित गन्ना समिति एवं चीनी मिल द्वारा उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति एवं खरीद) आदेश-1954 के उपबन्ध-3(3) एवं 4 (1) में निर्धारित प्रारूप-स पर अनुबन्ध अनिवार्य रूप से किया जायेगा, जो चीनी मिलें निर्धारित अवधि में अनुबन्ध नहीं करेंगे उनके विरुद्ध दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
 - 5- चीनी मिलों द्वारा उ0प्र0 गन्ना (पूर्ति एवं खरीद विनियमन) अधिनियम-1953 की धारा-17 एवं 18 तथा उ0प्र0 शुगर केन कन्ट्रोल ऑर्डर-1966 के खण्ड-3(3) में निहित प्राविधानों के अर्न्तगत निर्धारित अविध में गन्ना मूल्य एवं विकास कमीशन का भुगतान सुनिश्चित करें। अन्यथा बाध्य होकर चीनी मिलों को आबंटित गन्ना क्षेत्र को व्यावर्तित करने पर विचार किया जायेगा।

बोबडे)

उत्तर प्रदेश।

(सुधीर एम.

गन्ना आयुक्त,

कार्यालय गन्ना आयुक्त, उत्तर प्रदेश,

पत्रांक 36/सी/क्रय-सुर0/2009-10

दिनांक लखनऊ नवम्बर

02 , 2009

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- प्रमुख सचिव, चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास, उत्तर प्रदेश शासन, बापू भवन, लखनऊ।

- 2- सम्बन्धित जिले के कलेक्टर को इस आशय से प्रेषित कि वह उ0प्र0 गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) नियमावली-1954 के नियम-23 के अनुसार उक्त आदेशों को प्रकाशित कराने का कष्ट करें।
- 3- निदेशक, बांट एवं माप, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- 4- सम्बन्धित क्षेत्रीय संयुक्त/उप गन्ना आयुक्त, उत्तर प्रदेश को इस आशय से प्रेषित कि उक्त आदेश सर्व सम्बन्धित को अपने स्तर से प्रेषित करने का कष्ट करें।
- 5- सम्बन्धित उप चीनी आयुक्त।
- 6- सम्बन्धित जिला गन्ना अधिकारियों को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि वे क्रयकेन्द्रों के चलने की स्थिति के समबन्ध में सूचना अधोहस्ताक्षरी एवं सम्बन्धित गन्ना निरीक्षक एवं सहायक चीनी आयुक्त को चीनी मिल चलने के 15 दिनों के अर्न्तगत अर्द्धशासकीय पत्र के माध्यम से उपलब्ध करायें।
- 7- सम्बन्धित गन्ना निरीक्षक एवं सहायक चीनी आयुक्तों को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि वे क्रयकेन्द्रों के चलने की स्थिति पर स्वयं भी निगरानी रखेंगे तथा यथा निर्दिष्ट समय के अर्न्तगत क्रयकेन्द्र न चलाये जाने पर चीनी मिल के विरुद्ध समुचित कार्यवाही कराते हुए, अनुपालन की स्थिति में अधोहस्ताक्षरी को अर्द्धशासकीय पत्र के माध्यम से अवगत करायें।
- 8- सम्बन्धित सहकारी गन्ना विकास समितियाँ।
- 9- अध्यासी/प्रधान प्रबन्धक, सम्बन्धित चीनी मिलें।

(डा0 कृपाल
सिंह)

उप गन्ना
आयुक्त (क्रय)
कृते गन्ना
आयुक्त, उत्तर प्रदेश।

बब

=os.kh bathfu; fjæ , .M b.MLVht fy0] 'kqxj ; fuV&l kfcrx< tuin cyUn'kgj ifj {k= ej BA

[k.M&1 ¼ d ½ i j kbz l = 2009&10

क्रम	नाम गन्ना	नाम क्रय केन्द्र	केन्द्र की	गन्ना	गन्ना	सुरक्षित/	अभ्युक्ति
------	-----------	------------------	------------	-------	-------	-----------	-----------

संख्या	समिति		दूरी (कि०मी०)	क्षेत्रफल (है०)	उत्पादन (ला०कु०)	अभ्यर्पित	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	साथा	मिलद्वार	0	1479	8.46	सुरक्षित	
	अनूपशहर	मिलद्वार	0	390	2.19	सुरक्षित	
	बुलन्दशहर	मिलद्वार	0	537	3.01	सुरक्षित	
2	साथा	पापडी	12	376	2.15	सुरक्षित	
3	"	पढा	13	404	2.31	सुरक्षित	
4	"	छतारी	15	86	0.49	सुरक्षित	
5	"	चौडेरा	28	92	0.53	सुरक्षित	
6	"	बुढासी	22	62	0.35	सुरक्षित	
7	"	अरनियां	12	233	1.33	सुरक्षित	
8	अनूपशहर	गवां	12	96	0.54	सुरक्षित	
9	"	गवां / कलाखुरी	14	327	1.84	सुरक्षित	
10	"	कलेना	13	382	2.14	सुरक्षित	
11	बुलन्दशहर	गोठनी	36	138	0.77	सुरक्षित	
12	"	जवां	42	76	0.43	सुरक्षित	
13		नेकपुर	42	112	0.63	सुरक्षित	नया क्रय केन्द्र
14	"	छपना / माचड	44	75	0.42	सुरक्षित	
15	"	नीमका	41	259	1.45	सुरक्षित	
16	"	साबौता	45	160	0.90	सुरक्षित	
17	"	चरौली	40	176	0.99	सुरक्षित	
18	"	सलेमपुर	16	318	1.79	सुरक्षित	
19	"	हुर्थला	20	143	0.80	सुरक्षित	
20	"	जहांगीरपुर	31	171	0.96	सुरक्षित	
21	"	फतेहपुर-प्रथम	12	131	0.74	सुरक्षित	
22		फतेहपुर-द्वितीय	13	82	0.46	सुरक्षित	नया क्रय केन्द्र
23	"	मीरपुर	11	44	0.25	सुरक्षित	
24		हजरतपुर पूठरी	20	45	0.25	सुरक्षित	नया क्रय केन्द्र
25	"	रोहिन्दा मन्सूरपुर	12	48	0.27	सुरक्षित	
26	"	जावल	14	34	0.19	सुरक्षित	

	योग		6476	36.65		
--	-----	--	------	-------	--	--

सुरक्षण आदेश संख्या 36 /सी/कय-सुर0 दिनांक नवम्बर 02 ,2009 (पृष्ठ सं०-1)
 f=os kh bathfu; fj& , .M b.MLVht fy0] 'kqj ; fuV&l kfcrx< tuin cyUn'kgj ifj {k= ej BA
 [k.M&1 ¼ [k ½ i j kbz l = 2009&10

क्रम संख्या	नाम गन्ना समिति	नाम कय केन्द्र	केन्द्र की दूरी (कि०मी०)	गन्ना क्षेत्रफल (है०)	गन्ना उत्पादन (ला०कु०)	सुरक्षित / अभ्यर्पित	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8
1	बुलन्दशहर	जाहिदपुर कलां/शाहपुर कलां	28	239	1.34	अभ्यर्पित	बुलन्दशहर मिल से
2	"	जाहिदपुर कला-द्वितीय	29	198	1.11	अभ्यर्पित	"
3	"	रन्हेरा	69	66	0.37	अभ्यर्पित	"
4	"	भाईपुर	76	31	0.17	अभ्यर्पित	"
5	"	नगला भटौना	60	44	0.25	अभ्यर्पित	"
6	"	सीकरा	25	175	0.98	अभ्यर्पित	"
7	"	कनैनी शहजादपुर	28	69	0.39	अभ्यर्पित	"
8	अनूपशहर	रतनपुर-प्रथम	39	100	0.56	अभ्यर्पित	अनूपशहर मिल से
9	"	रतनपुर-द्वितीय	43	58	0.33	अभ्यर्पित	"
10	"	खुशालाबाद	40	106	0.60	अभ्यर्पित	"
11	"	राजौर-प्रथम	34	144	0.81	अभ्यर्पित	"
12	"	राजौर-द्वितीय	32	193	1.08	अभ्यर्पित	"
13	"	सतवरा-प्रथम	29	210	1.18	अभ्यर्पित	"
14	"	सतवरा-द्वितीय / एट नगलाजगत	31	319	1.79	अभ्यर्पित	"
15	"	पूठरीकलां	31	112	0.63	अभ्यर्पित	"
16	"	कुतुबपुर-द्वितीय	28	216	1.21	अभ्यर्पित	"
17	"	जरगवां-प्रथम	56	66	0.37	अभ्यर्पित	"
18	"	गोकुलपुर	67	76	0.43	अभ्यर्पित	नया कयकेन्द्र "
19	"	जरगवां-द्वितीय	53	37	0.21	अभ्यर्पित	"

20	"	सरावा-प्रथम	26	118	0.66	अभ्यर्पित	"
21	"	सरावा-द्वितीय	28	87	0.49	अभ्यर्पित	"
22	"	दौलतपुर खुर्द	23	114	0.64	अभ्यर्पित	"
23	अनूपशहर	पिलखना	39	53	0.30	अभ्यर्पित	अनूपशहर मिल से
24		राजघाट	45	51	0.29	अभ्यर्पित	नया क्रयकेन्द्र "
25	"	गोविन्दपुर	35	86	0.48	अभ्यर्पित	"
		योग		2968	16.66		

सुरक्षण आदेश संख्या 36 /सी/क्रय-सुर0 दिनांक नवम्बर 02 ,2009 (पृष्ठ सं0-1)
 f=os kh bathfu; fj& , .M b.MLV&t fy0) 'kqj ; fuV&l kfcrx< tuin cyUn'kgj i fj {k= ej BA
 [k.M&1 ¼ [k ½ i j kbz l = 2009&10

क्रम संख्या	नाम गन्ना समिति	नाम क्रय केन्द्र	केन्द्र की दूरी (कि०मी०)	गन्ना क्षेत्रफल (है०)	गन्ना उत्पादन (ला०कु०)	सुरक्षित / अभ्यर्पित	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8
26	"	दानपुर	23	77	0.43	अभ्यर्पित	"
27	"	पहाडपुर हवेली	25	174	0.98	अभ्यर्पित	"
28	"	हजरतपुर	24	291	1.63	अभ्यर्पित	"
29	"	रानउ	25	77	0.43	अभ्यर्पित	"
30	"	दरवेश पुर	26	65	0.36	अभ्यर्पित	"
31	"	भैलई द्वितीय	38	245	1.38	अभ्यर्पित	"
32	"	रूपवास द्वितीय	49	142	0.80	अभ्यर्पित	"
33	"	रूपवास प्रथम	45	83	0.47	अभ्यर्पित	"
34	"	ईलना द्वितीय	46	336	1.89	अभ्यर्पित	नया क्रय केन्द्र "
35	"	रोण्डा द्वितीय	45	197	1.11	अभ्यर्पित	नया क्रय केन्द्र "
36	स्याना	मोहननगर	59	74	0.42	अभ्यर्पित	अगौता मिल से
37	"	शेखपुर गढवा	58	119	0.67	अभ्यर्पित	"
38	"	कनौना	68	45	0.25	अभ्यर्पित	"
39	"	चिंगरावठी	61	142	0.80	अभ्यर्पित	"
40	"	महाव	63	158	0.89	अभ्यर्पित	"

41	"	भौलिया गिरौरा	65	168	0.94	अभ्यर्पित	"
42	"	बरौली बासदेवपुर	59	126	0.71	अभ्यर्पित	"
43	"	खाद मोहननगर	58	182	1.02	अभ्यर्पित	"
44	"	खानपुर	61	310	1.74	अभ्यर्पित	"
45	बुलन्दशहर	गुठावली	37	68	0.38	अभ्यर्पित	"
46	"	शाहनगर	39	184	1.03	अभ्यर्पित	"
47	"	लोहगला	40	102	0.57	अभ्यर्पित	"
48	"	गढिया मानपुर	42	218	1.22	अभ्यर्पित	"
49	साथा	बरौली प्रथम	11	229	1.31	अभ्यर्पित	साथा मिल से
50	"	पिसावा प्रथम	42	87	0.50	अभ्यर्पित	"
51	"	पिसावा द्वितीय	43	103	0.59	अभ्यर्पित	"
52	"	चण्डौस	45	88	0.50	अभ्यर्पित	"
		; kx		4090	23.01		
		; kx vH; fi r		7058	39.68		
		egk; kx		13534	76.32		